न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री बजरंग लाल स्वामी, आर.ए.एस.
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/37
प्रकरण संख्या :– 04/2025

प्रभुदयाल व अन्य बनाम गौरा देवी वगै0

प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक :– 16.05.2025

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया गया। जिसमें निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 19 को इस कदर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ताफैसला अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 19 उक्त विवादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि खाता संख्या पुराना 345 नया 98 खसरा नम्बर 4771 लगायत 4783, 4813 लगायत 4815 कुल किता 16 कुल रकबा 02.50 हैक्ट0 ग्राम अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का राजस्व रिकॉर्ड में उक्त खसरा नम्बरान में 41/750 एवं प्रार्थी संख्या 2 का उक्त खसरा नम्बरान में 139/4125 हक व हिस्सा नियत है तथा अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 139/825, अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 का हिस्सा 139/4125, अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 11 का हिस्सा 1/144 अप्रार्थी संख्या 12 व 13 का हिस्सा 1/24 तथा अप्रार्थी सख्या 14 फौत हो चुकी है। जिसका एक विधिक वारिस अप्रार्थी 14/1 है जिसका 1/24 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 15 का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 16 का हिस्सा 39/1000, अप्रार्थी संख्या 17 का हिस्सा 1/144, अप्रार्थी संख्या 18 का हिस्सा 79/2000 हिस्सा नियत है को बिना तकासमा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व कृषि कार्य में किसी प्रकार की मजाहमत ना तो स्वयं करे, ना ही बिना तकासमा किये अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 19 उक्त विवादित भूमि का बेचान करे, मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे, कच्चा–पक्का निर्माण नहीं करे, किसी भी प्रकार से भू रूपान्तरण नहीं करावे, बैक डेट में पट्टे जारी नही करे, कॉलोनी नहीं काटे, प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा कारित नही करे। उक्त कार्य न तो स्वयं करे और ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादि से करवाये तथा अप्रार्थी संख्या 20 व 21 को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त आराजी की कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं करे, राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय प्रार्थीगण के हित में उचित समझे अता फरमाया जावे।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। प्रतिवादी01 लगायत 3, 5, 6 को पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब पेश नहीं करने

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर

पर जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया एवं शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल वाद कृषि भूमि के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है। प्रकरण प्रथम दृष्ट्रया सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नही होती है। वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि है। सहखातेदार/अंशधारी जो भूमि पर काबिज होते है, अतः उनमें से किसी एक को अस्थाई निषेधाज्ञा से नही रोका जा सकता हैं। अतः उक्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 16.05.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

BSW

(बजरंग लाल स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर